

राजस्थान सरकार  
नगर नियोजन विभाग

विज्ञापन संख्या: टीपीआर 9118 / Adhoc.ATP / 2020 पार्ट / 1237

जयपुर, दिनांक : 5 FEB 2021

**"सहायक नगर नियोजक (Assistant Town Planner) के 43 रिक्त पदों पर आवश्यक/अस्थाई आधार पर नियुक्ति"**

राजस्थान नगर नियोजन सेवा नियम, 1966 के नियम 27 के प्रावधानान्तर्गत; नगर नियोजन विभाग के लिए सहायक नगर नियोजक (Assistant Town Planner) के 43 रिक्त पदों पर आवश्यक/अस्थाई आधार पर भर्ती हेतु आवेदन—पत्र आमंत्रित किये जाते हैं, जो कि ऑनलाइन भरे जायेंगे। यह नियुक्ति पूर्णतः आवश्यक/अस्थाई आधार पर 06 माह की अवधि अथवा राजस्थान लोक सेवा आयोग से नियमित रूप से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिए होगी एवं इससे किसी भी अभ्यर्थी को विभाग में नियमित नियुक्ति का अधिकार नहीं होगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी प्राप्त न होने की दशा में, उपरोक्त नियमों के प्रावधानान्तर्गत, उक्त आवश्यक/अस्थाई नियुक्ति की अवधि में कार्मिक विभाग एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग के अनुमोदनोपरान्त अभिवृद्धि की जा सकेगी। इन पदों पर राजस्थान लोक सेवा आयोग से नियमित चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर उक्त आवश्यक/अस्थाई नियुक्ति स्वतः समाप्त हो जायेगी।

रिक्त पदों की संख्या एवं उनमें आरक्षित पदों की संख्या निम्नानुसार है :-

No. of Post(s)	Gen.(UR)			E.W.S.			S.C.			S.T.			B.C.			M.B.C.								
	सामान्य सामान्य महिला	विवाहा	परिवर्तना																					
43	10	3	1	—	4	1	—	—	7	2	—	—	3	1	—	—	7	2	—	—	2	—	—	—

दण्डवत आरक्षण (Horizontal Reservation) :- निःशक्तजन- 01 (LD&CP{OL/OA/BL}) एवं भूतपूर्व सैनिक- 02

Abbreviations Used : Gen.- General, UR- Unreserved, EWS- Economically Weaker Sections, SC- Scheduled Castes, ST- Scheduled Tribes, BC- Backward Classes, MBC- More Backward Classes.

LD-Locomotor Disability, CP-Cerebral Palsy, OL-One Leg, OA-One Arm, BL-Both Legs.

नोट :-

- आवश्यक/अस्थाई नियुक्ति के लिए अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों के पात्र तथा उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को सामान्य प्रक्रिया से भरा जायेगा।
- राजस्थान राज्य के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (E.W.S.) के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र तथा उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में इन पदों को सामान्य प्रक्रिया से भरा जायेगा।
- महिलाओं हेतु आरक्षित पदों में विवाह महिलाओं में पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में रिक्तियों को प्रथमतः अन्तर-परिवर्तन द्वारा, अर्थात् विवाहाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों को विविध विवाह महिलाओं से भरा जा सकेगा। पर्याप्त रूप से विवाह और विविध विवाह अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में, न भरी गई रिक्तियाँ उसी प्रवर्ग के अन्य महिलाओं द्वारा भरी जायेगी और पात्र तथा उपयुक्त महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियाँ उस प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों द्वारा भरी जायेगी जिसके लिए रिक्तियाँ आरक्षित हैं। विवाह और विविध विवाह महिलाओं सहित, महिलाओं के लिए आरक्षण को प्रवर्ग के भीतर क्षेत्रिज (Horizontal) आरक्षण माना जायेगा अर्थात् प्रवर्ग की सामान्य योग्यता में चयनित महिला को भी पहले महिला कोटे के विरुद्ध समायोजित किया जायेगा।
- विवाहित महिला आवेदकों को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी जाति (अज्ञा/अज्जा/पिव/अति पिव) का नीन कीमीलेय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पात्र के नाम एवं आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
- विशेष योग्यतान् निःशक्तजन एवं भूतपूर्व सैनिक के लिए दर्शाएं गए पदों का आरक्षण क्षेत्रिज (Horizontal) है अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जायेगा।
- यदि कोई रिक्त उपयुक्त निःशक्तजन की अनुपलब्धता के कारण भरी नहीं जा सकी हो, तो ऐसी रिक्त निःशक्तजन के अलावा अन्य व्यक्ति से भरी जा सकेगी।
- भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्त उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता के कारण खाली रहने पर इस प्रकार आरक्षित रिक्तियाँ सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हेतु आरक्षित पदों का लाभ राजस्थान राज्य के मूल निवासियों को ही देय है। अन्य राज्य के आवेदकों को उक्त लाभ देय नहीं होने के कारण उन्हें सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा CA No- 1085/2013 में पारित निर्णय दिनांक 30-08-2018 एवं माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा DBSAW No- 1116/2018 में पारित निर्णय दिनांक 18-09-2018 के अनुसार राजस्थान राज्य के बाहर अन्य राज्य की महिला जो विवाहित राजस्थान राज्य की मूल निवासी बन जाती है तो उसे Public employment में एसटी/एसटी/ओबीसी/एमबीसी वर्ग में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा। इसलिए उन्हें सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा।

अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएँ :-

- Degree in Architecture of a University established by law in India or qualification recognized as equivalent thereto by the Government. Preference will be given to those, who after obtaining Degree in Architecture possess Post Graduate Degree/Diploma in Town/City/Regional Planning of a University established by law in India or its equivalent.

OR

Degree in Civil Engineering of a University established by law in India with Post Graduate Degree/Diploma in Town/City/Regional Planning of a University established by law in India or its equivalent.

- Working knowledge of Hindi written in Devnagari Script and knowledge of Rajasthani Culture.

देव नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration)	रुपये 39,300/- प्रतिमाह
आयु सीमा	दिनांक 01.01.2022 को न्यूनतम 20 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष से कम।

<p><b>राष्ट्रीयता</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(क) भारत का नागरिक हो, या</li> <li>(ख) नेपाल का प्रजाजन हो, या</li> <li>(ग) भूटान का प्रजाजन हो, या</li> <li>(घ) तिब्बती शरणार्थी जो दिनांक 01.01.1962 से पहले स्थाई रूप से बसने के विचार से भारत आया हो, या</li> <li>(ङ) भारतीय शूल का व्यक्ति है, जो भारत में स्थाई रूप से बसने के विचार से पाकिस्तान, स्थानान्, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देश कीनिया, युगान्डा और संयुक्त तंजानिया गणराज्य (पूर्व का टंगानिया, जंजीबार, जाम्बिया, मालाबाई, जैर तथा इथोपिया) से भारत आया है।</li> </ol> <p>नोट :- वर्ग (ख), (ग), (घ) और (ङ) से संबंधित प्रार्थियों को भारत सरकार के गृह एवं न्यायिक विभाग द्वारा प्रदत्त पात्रता का वांछित प्रभाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा।</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. अन्य देशों से भारत में स्थाई रूप से बसने के आशय से आये व्यक्तियों की पात्रता की शर्तें — इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी सेवा में भर्ती की पात्रता हेतु राष्ट्रीयता, आयु सीमा, फीस तथा अन्य रियायतों संबंधी उपबन्ध, ऐसे व्यक्तियों के बारे में जो भारत में स्थाई रूप से बसने के आशय से अन्य देशों से भारत में आया हो, ऐसे आदेशों या अनुदेशों द्वारा विनियमित होंगे जो सरकार द्वारा समय—समय पर जारी किये जायें और ऐसे आदेशों या अनुदेशों को भारत सरकार द्वारा इस विषय में जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार यथावश्यक परिवर्तनों सहित विनियमित किया जायेगा।</li> </ol>
--

#### विभिन्न वर्गों/अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु आयु सीमा में छूट के प्रावधान

क्र.सं.	अधिकारीयों का वर्ग एवं अन्य विशिष्ट श्रेणियाँ	अधिकतम आयु में देय छूट
1.	राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के पुरुष अधिकारी Male Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes and More Backward Classes of Rajasthan State	5 वर्ष Five Years
2.	सामान्य वर्ग की महिला एवं राजस्थान राज्य की आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (E.W.S.) की महिला अधिकारी Women Candidates belonging to General Category and Rajasthan State's Economically Weaker Sections (E.W.S.)	5 वर्ष Five Years
3.	राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग की महिला अधिकारी Women Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes and More Backward Classes of Rajasthan State	10 वर्ष Ten Years
4.	विधवा एवं विधिन विवाह (परिस्तिकता) महिला Widow and Divorcee Women <b>Explanation :</b> In the case of widow, she will have to furnish a certificate of death of her husband from the Competent Authority and in case of divorcee, she will have to furnish the proof of divorce.	अधिकतम आयु सीमा नहीं No Upper Age Limit

#### परन्तु :

<ol style="list-style-type: none"> <li>उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा में छूट के प्रावधान असंचयी (Non Cumulative) हैं, अर्थात् अधिकारीयों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।</li> <li>कार्यक्रम (क्र-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 26-7-2017 एवं पत्र दिनांक 14-9-2017 के अनुसार यदि किसी आरक्षित वर्ग (SC/ST/BC/MBC/EWS) के अधिकारी द्वारा शुल्क के अतिरिक्त उनको देय किसी अन्य रियायत (जैसे— आयु सीमा, अंक आदि) का लाभ लिया जाता है तो उसे सामान्य विविताओं के प्रति विचारित नहीं किया जायेगा।</li> <li>अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु आयु सीमा में छूट के प्रावधान हिन्दी व अंग्रेजी भाषा में अंकित किये गये हैं। किसी प्रकार के विधिक बाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा में अंकित प्रावधान ही साम्य होंगे।</li> </ol>
---

#### अन्य विवरण

<p><b>आवेदन अवधि</b></p> <p>दिनांक 10.02.2021 से दिनांक 24.02.2021 तक 11:59 बजे तक।</p>
<p><b>आवेदन प्रक्रिया</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>उक्त पद हेतु ऑनलाइन आवेदन—पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अधिकारी विभाग की वेबसाइट <a href="https://urban.rajasthan.gov.in/content/raj/udh/ctp/en/home.html">https://urban.rajasthan.gov.in/content/raj/udh/ctp/en/home.html</a> अथवा रिक्रूटमेंट पोर्टल <a href="http://udhptd.onlinerecruit.in">http://udhptd.onlinerecruit.in</a> पर ऑनलाइन आवेदन—पत्र भरने के सम्बन्ध में दिये गये विस्तृत विज्ञापन एवं अन्य विवरण का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें। तदुपरान्त ही अधिकारी अपनी पात्रता सुनिश्चित करने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन करें।</li> <li>Recruitment Portal पर One Time Registration (OTR) करने पर ही अधिकारी परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।</li> <li>अधिकारीयों को परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पश्चात Recruitment Portal पर उपलब्ध भुगतान सुविधा से परीक्षा शुल्क का भुगतान कर आवेदन पत्र क्रमांक (Application No.) जनरेट करना होगा।</li> <li>अधिकारीयों को उक्त परीक्षा शुल्क जमा करने की सुविधाओं में किसी भी प्रकार का शुल्क रिफण्ड नहीं किया जायेगा।</li> <li>अधिकारीयों को उक्त परीक्षा शुल्क का भुगतान आवेदन की अन्तिम दिनांक से पूर्व सुनिश्चित करें ताकि किसी प्रकार की भुगतान संबंधित Transaction का लम्बित सत्यापन समय रहते हो सके।</li> </ol>

	<p>7. आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात् आवेदन—पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा और यदि आवेदन—पत्र क्रमांक (Application No.) अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन—पत्र जमा नहीं हुआ है। आवेदन पत्र को Preview को आवेदन Submit नहीं माना जायेगा।</p> <p>8. आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करते समय अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो Recruitment Portal पर दिये गये Helpdesk E-mail पर सम्पर्क करें।</p> <p>9. आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने हेतु पात्र है, उसी श्रेणी में ऑनलाइन आवेदन करें।</p> <p>10. राजस्थान राज्य के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की क्रीमीलेयर (Creamy Layer) श्रेणी के आवेदक तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग (Creamy Layer and Non-Creamy Layer)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक, सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आते हैं। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान करते हुए सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा।</p> <p>11. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन—पत्र भरने के पश्चात् आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी का प्रिंट आवश्यक रूप से निकाल लें।</p> <p>12. उक्त प्रक्रियानुसार ऑनलाइन आवेदन—पत्र भरने के अतिरिक्त अभ्यर्थी से किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार का कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन/हाथ से भरा हुआ आवेदन—पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।</p> <p>13. निरस्त किये गये आवेदन पत्र के अभ्यर्थी को किसी शुल्क की वापसी नहीं की जायेगी। यदि आवेदन पत्र ऑनलाइन स्वीकृत होता है परन्तु किन्हीं कारणों से (जिनमें सॉफ्टवेयर में क्रूटि शामिल हैं) से बाद में आवेदन निरस्त होने योग्य पाया जाता है तो उसे निरस्त कर दिया जायेगा। अतः आवश्यक है कि आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी अपनी अर्हता के संबंध में सुनिश्चित हो लें।</p>								
परीक्षा शुल्क	<p>1. सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं राजस्थान के क्रीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु :— रुपये 1,400/-</p> <p>2. राजस्थान के नौन क्रीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु :— रुपये 1,000/-</p> <p>3. समस्त निःशक्तजन, राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग तथा जिनकी पारिवारिक आय 2.50 लाख से कम है, के आवेदकों हेतु — रुपये 600/-</p>								
चयन प्रक्रिया	<p>अभ्यर्थियों के चयन हेतु लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार का भारांक (weightage) निम्नानुसार निर्धारित किया गया है :—</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Marks secured in Written Test x 80 Total Marks of Written Test</th> <th>साक्षात्कार का भारांक</th> <th>नगर नियोजन में स्नातकोत्तर अथवा समकक्ष का भारांक</th> <th>कुल पूर्णांक</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>80 अंक</td> <td>20 अंक</td> <td>10 अंक</td> <td>110 अंक</td> </tr> </tbody> </table> <p>1. लिखित परीक्षा (360 अंक / 80 प्रतिशत भारांक),</p> <p>2. साक्षात्कार (20 अंक)</p> <p>उपरोक्तानुसार प्राप्तांकों के अतिरिक्त, नगर नियोजन में स्नातकोत्तर अथवा समकक्ष योग्यता धारकों में से प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण (60% अंक एवं अधिक) को 10 अंक, द्वितीय श्रेणी उत्तीर्ण (50% अंक एवं अधिक तथा 60% से कम) को 05 अंक एवं तृतीय श्रेणी उत्तीर्ण (50% अंक से कम अंक) को 03 अंक अतिरिक्त देय होंगे।</p> <p>उपरोक्तानुसार 110 अधिकतम अंकों में से अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर अन्तिम वरीयता सूची तैयार की जाकर विभिन्न श्रेणियों के अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा। उपरोक्तानुसार तैयार की गई वरीयता सूची में अन्तिम पद पर एक से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक होने की स्थिति में निम्नानुसार tie break प्रक्रिया अपनाई जायेगी :—</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. समान अंक वाले अभ्यर्थियों में से जन्म तिथि के आधार पर अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जायेगी।</li> <li>2. समान अंक वाले एवं समान जन्म तिथि वाले अभ्यर्थियों में से बैचलर योग्यता में अधिक प्राप्तांक प्रतिशत वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जायेगी।</li> <li>3. समान अंक, समान जन्म तिथि तथा बैचलर योग्यता में समान प्राप्तांक प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों में से सीनियर सैकंडरी परीक्षा में अधिक प्राप्तांक प्रतिशत वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जायेगी।</li> </ol> <p>वरीयता निर्धारण के संबंध में विभाग का निर्णय अनित्य होगा।</p>	Marks secured in Written Test x 80 Total Marks of Written Test	साक्षात्कार का भारांक	नगर नियोजन में स्नातकोत्तर अथवा समकक्ष का भारांक	कुल पूर्णांक	80 अंक	20 अंक	10 अंक	110 अंक
Marks secured in Written Test x 80 Total Marks of Written Test	साक्षात्कार का भारांक	नगर नियोजन में स्नातकोत्तर अथवा समकक्ष का भारांक	कुल पूर्णांक						
80 अंक	20 अंक	10 अंक	110 अंक						
परीक्षा केन्द्र एवं तिथि	<p>लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार जयगुर में आयोजित किए जायेंगे। लिखित परीक्षा दिनांक 28.02.2021 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा केन्द्र की सूचना हेतु विभागीय वेबसाइट अथवा Recruitment Portal पर उपलब्ध लिंक से प्रवेश पत्र डाउनलोड किया जा सकेगा।</p>								
लिखित परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम	<p>लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में ऑफलाइन ली जायेगी। परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। परीक्षा में कुल 120 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जो प्रत्येक 03 अंक (कुल 360 अंक) का होगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होगी, जिसमें प्रत्येक 01 गलत उत्तर के लिए 01 अंक काटा जायेगा।</p>								
साक्षात्कार प्रक्रिया	<p>साक्षात्कार दिनांक 06.03.2021 को आयोजित किये जायेंगे। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर निर्धारित वरीयता के अनुसार कुल श्रेणीयां रिक्त पदों के 2 गुणा तक अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा। दो गुणा अभ्यर्थियों की गणना के समय अन्तिम पद पर एक से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक होने की स्थिति में समान अंक वाले सभी अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जायेगा।</p> <p>साक्षात्कार के 20 अंकों में से प्राप्त अंकों को अंतिम वरीयता हेतु कुल प्राप्तांकों में जोड़ा जायेगा।</p>								

नोट :—

- 1— राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क देना होगा।
- 2— राज्य सरकार द्वारा सभी वर्ग के अभ्यर्थियों की आर्थिक स्थिति के दृष्टिगत लिये गये निर्णय के क्रम में जारी परिपत्र दिनांक 02-05-2018 के अनुसार सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से कम है, के लिए किसी भी भर्ती/परीक्षा/चयन में प्रवेश करने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के समान ही आवेदक शुल्क देय होगा। उक्त परिपत्र के अनुसार राजस्थान राज्य के जिन अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन के समय परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से कम होने का विकल्प चुना गया है, उन अभ्यर्थियों को पात्रता जॉच/साक्षात्कार के समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त लाभ राजस्थान राज्य के अभ्यर्थियों को ही देय होगा। राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों के आवेदकों को सामान्य वर्ग हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान करना होगा।



## अति महत्वपूर्ण बिन्दु/नोट :-

- अभ्यर्थी Online Application Form में अपना वही मोबाइल नम्बर व ई—मेल आई.डी. अंकित करें जिस पर वह परीक्षा इत्यादि संबंधी भावी सूचना SMS & Email के माध्यम से चाहता है। ऑनलाइन आवेदन में अंकित मोबाइल नम्बर व ई—मेल आई.डी. बदलने/बन्द होने/नेटवर्क समस्या होने पर सूचनाएँ प्राप्त नहीं होने पर अभ्यर्थी की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
- कुल रिक्त पदों की संख्या में विभाग द्वारा किसी भी स्तर पर कमी/वृद्धि की जा सकती है, जिसके लिए पृथक से कोई शुद्धि पत्र जारी नहीं किया जायेगा।
- आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन—पत्र ध्यानपूर्वक भरें। आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन—पत्र अन्तिम रूप से भरने से पूर्व उसकी समस्त प्रविष्टियों से आश्वस्त हो लें कि सभी प्रविष्टियां सही—सही भरी गई हैं। आवेदक द्वारा आवेदन में भरी गई प्रविष्टियों को ही सही मानकर आगे की कार्यवाही की जायेगी।
- अभ्यर्थी निर्धारित समय सीमा में आवेदन की अन्तिम दिनांक का इन्तजार किये बिना अपना ऑनलाइन आवेदन करें, अन्यथा किसी प्रकार की कोई नेटवर्क समस्या के लिए विभाग जिम्मेदार नहीं होकर अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- आवेदक द्वारा स्वयं/ई—मित्र/अन्य किसी स्त्रीत से ऑनलाइन आवेदन—पत्र भरते/भरवाते समय किसी प्रकार की कोई गलत प्रविष्टि/भूलवश त्रुटि हो जाती है, तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। इसलिए आवेदक सर्वप्रथम ऑनलाइन आवेदन—पत्र के Preview में अपनी जाति/वर्ग/श्रेणी, आयु (जन्म दिनांक), योग्यता इत्यादि संबंधी त्रुटियों की जाँच आवश्यक रूप से करने के पश्चात् ही ऑनलाइन आवेदन—पत्र को Submit करें और उसका प्रिन्ट लेकर अपने पास रख लें। अंतिम रूप से भरे गये आवेदन में संशोधन का कोई अनुरोध स्थीकार नहीं किया जायेगा।
- यदि आवेदक द्वारा अपनी श्रेणी से भिन्न श्रेणी में आवेदन किया जाता है तो इसे अधिकारों का परित्याग माना जायेगा। गतत श्रेणी में आवेदन करने पर आवेदक का आवेदन—पत्र किसी भी स्तर पर रद्द किया जा सकता है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग/भूतपूर्व सैनिक/विधवा/परित्यक्ता/विकलांगता/अन्य वर्ग के अभ्यर्थी Online Application Form प्रस्तुत (Submit) करते समय अपने वर्ग का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं करते अन्यथा ऐसे अभ्यर्थियों को जो कि उक्त वर्ग का उल्लेख नहीं करते हैं तो वर्ग विशेष का लाभ विज्ञापित पदों हेतु देय नहीं होकर आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन—पत्र में जो श्रेणी/वर्ग भरी/भरा गया है, उसी श्रेणी/वर्ग में ही मानकर कार्यवाही की जाएगी एवं अभ्यर्थी/आवेदक द्वारा जिस श्रेणी/वर्ग में ऑनलाइन आवेदन—पत्र भरा गया है उस संबंधित वर्ग/श्रेणी से संबंधित प्रमाण—पत्र/दस्तावेज यथा समय प्रस्तुत नहीं करने पर अभ्यर्थी/आवेदक का ऑनलाइन आवेदन—पत्र निरस्त/रद्द/पात्रा रद्द कर दी जायेगी।
- ऑनलाइन आवेदन—पत्र में भरी गई सूचनाओं के आधार पर ही अभ्यर्थियों की पात्रता (आयु, योग्यता, श्रेणी इत्यादि) की जाँच की जाएगी। यदि आवेदक द्वारा भरी गई सूचना के आधार पर वह अपात्र पाया जाता है तो उसका ऑनलाइन आवेदन—पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।
- आवेदक जिनके ऑनलाइन आवेदन पत्र, आवेदन—पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक विभाग को पूर्ण सूचना सहित प्राप्त होंगे, ऐसे आवेदकों को अनन्तिम (Provisional) रूप से लिखित परीक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। लिखित परीक्षा के लिये प्रवेश—पत्र जारी करने का यह अभिप्राय नहीं है कि विभाग द्वारा उसकी उम्मीदवारी अन्तिम रूप से सही मान ली गई है अथवा उम्मीदवार द्वारा आवेदन—पत्र में उल्लेखित प्रविष्टियाँ विभाग द्वारा सही मान ली गई हैं। विभाग द्वारा आवेदकों की पात्रता की जाँच अलग से की जायेगी। विभाग द्वारा उम्मीदवार की पात्रता की जाँच करते समय तथा मूल प्रलेखों से पात्रता की जाँच करते समय यदि आयु, शैक्षणिक योग्यता तथा अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग/भूतपूर्व सैनिक/विधवा/परित्यक्ता/विकलांगता/अन्य शर्तों की पालना नहीं करने के कारण यदि अभ्यर्थी की अपात्रता का पता चलता है तो इस परीक्षा हेतु उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।
- आवेदक उक्त पद हेतु तभी आवेदन करें जब वह उक्त पद हेतु विज्ञापन में निश्चित निम्न व उच्च आयु सीमा के अन्तर्गत वांछित शैक्षणिक योग्यता संबंधित सम्पूर्ण मानदण्ड/मापदण्ड पूर्ण करता हो। साथ ही इस विज्ञापन में दी गई उक्त वांछित शैक्षणिक योग्यता के अतिरिक्त अन्य किसी योग्यता एवं अनुभव को विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवेदक के पास विज्ञापन में उल्लेखित अनुसार शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक योग्यता का प्रमाण—पत्र होने पर ही पात्र माना जायेगा अन्यथा अपात्र माना जायेगा।
- आवेदक को इस विज्ञापन में दी गई आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की कोई निम्नतम आयु एवं अधिकतम आयु संबंधी छूट नहीं दी जायेगी।
- परीक्षार्थियों को ई—प्रवेश—पत्र पर उल्लेखित विस्तृत दिशा—निर्देशों की पालना सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।
- परीक्षा के दौरान ओ.एम.आर. पत्रक (उत्तर पुस्तिका) में अंकित दिशा—निर्देशों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा दिया जाना आवश्यक होगा, परीक्षार्थी द्वारा ओ.एम.आर. पत्रक में किसी प्रकार की गलती/त्रुटि करने के लिए परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा ना कि विभाग जिम्मेदार होगा।
- परीक्षा के दौरान प्रश्न—पत्र में अंकित दिशा—निर्देशों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा दिया जाना आवश्यक होगा, परीक्षार्थी द्वारा प्रश्न—पत्र में दिये गये दिशा—निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण किसी प्रकार की गलती/त्रुटि के लिए परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा ना कि विभाग जिम्मेदार होगा।
- प्रश्न—पत्र में त्रुटि होने अथवा एक से अधिक उत्तर गलत/सही होने अथवा उत्तर कुंजी में गलती/त्रुटि अथवा प्रश्नोत्तर के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में विभाग के विषय विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गई अन्तिम उत्तर कुंजी के आधार पर जारी परिणाम को मानने का विभाग को स्वाधिकार होगा, जो सभी अभ्यर्थियों को स्वीकार्य होगा। उसमें किसी प्रकार का कोई वाद—विवाद स्वीकार्य नहीं होगा।
- परीक्षार्थी द्वारा केन्द्राधीक्षक/अभिजागर/विभाग द्वारा नियुक्त अधिकारी या कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनिवार्यतः पालन नहीं करने/परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने एवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपभोग करने पर परीक्षार्थी के विरुद्ध विभाग/केन्द्राधीक्षक जो भी उचित समझे समस्त कार्यवाही कर सकता है तथा परीक्षार्थी के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 के अन्तर्गत निर्धारित नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- यह नियुक्ति पूर्णतः आवश्यक/अस्थाई आधार पर 06 माह की अवधि अथवा राजस्थान लोक सेवा आयोग से नियमित रूप से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिए होगी एवं इससे किसी भी अभ्यर्थी को विभाग में नियमित नियुक्ति का अधिकार नहीं होगा। आवेदक को इस आशय का शापथ—पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा।
- परीक्षा/साक्षात्कार की तिथियों में आवश्यकता पड़ने पर परिवर्तन किया जा सकता है, जिसके लिए वेबसाइट एवं रिक्रूटमेन्ट पोर्टल पर यथासमय सूचना अपलोड कर दी जायेगी।

## नियुक्ति के लिए अयोग्यता :-

1. किसी भी ऐसे पुरुष/महिला अभ्यर्थी को जिसके एक से अधिक जीवित पत्नी/पति हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जायेगा।
2. किसी भी ऐसी महिला अभ्यर्थी को जिसने उस पुरुष से विवाह किया है जिसके पहले से जीवित पत्नी है, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जायेगा।
3. किसी भी विवाहित पुरुष/महिला अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जायेगा, यदि उसने अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया होगा।
4. स्पष्टीकरण :- इस नियम के प्रयोजन हेतु दहेज से वही तात्पर्य होगा जो दहेज प्रतिरोध एक्ट, 1961 (सेन्ट्रल एक्ट, 28 ऑफ 1961) में है।
5. ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 01-06-2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक बच्चे/संतान हों, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा, परन्तु दो से अधिक बच्चों/सन्तानों वाले किसी भी आवेदक को नियुक्ति के लिए तब तक निरहित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि 1 जून, 2002 को विद्यमान उसके बच्चों/सन्तानों की संख्या में बढ़ोतारी नहीं होती, परन्तु यह और कि जहाँ किसी आवेदक की पूर्वतार प्रसव से केवल एक बच्चा/संतान है, किन्तु किसी एक पश्चात्वर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे/सन्तानों पैदा होते हैं, वहाँ बच्चों/सन्तानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा। परन्तु यह भी कि किसी आवेदक की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान की, जो पूर्वतार प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्त हो, गणना नहीं की जाएगी। परन्तु यह भी कि ऐसा कोई अभ्यर्थी जिसने पुनर्विवाह किया है जो किसी विधि के विरुद्ध नहीं है और वह ऐसे पुनर्विवाह से पूर्व इस उपनियम के अधीन नियुक्ति के लिए निरहित नहीं है तो उसे निरहित नहीं किया जायेगा यदि ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रसव द्वारा किसी संतान का जन्म हुआ हो। तत्सम्बन्धी शपथ-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना वांछनीय होगा।
6. ऐसे अभ्यर्थी जो धूम्रपान या गुटखा सेवन करते हैं, वे नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

## प्रमाण-पत्रों का सत्यापन :-

आवेदक को वर्ग विशेष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग/भूतपूर्व सैनिक/विधवा/परित्यक्ता/विकलांगता/अन्य) का लाभ तब ही देय होगा जबकि लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित होने पर मूल दस्तावेजों से उनकी पात्रता की जाँच कर ली गई हो तथा दस्तावेज सही पाये गए हों। अतः पात्रता की जाँच हेतु दस्तावेज सत्यापन के समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना सुनिश्चित कर लिया जावे :-

1. जाति प्रमाण-पत्र जो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ हो।
2. पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के प्रमाण-पत्र में निवास स्थान एवं क्रीमीलेयर/नॉन क्रीमीलेयर की प्रविष्टियां सही-सही एवं पूर्ण भरी गई हैं। पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण-पत्र नियमानुसार नवीनतम जारी किये हुए होने आवश्यक हैं।
3. पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग का नवीनतम प्रमाण-पत्र जो नियमानुसार पिता/माता की आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ हो। पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिला आवेदक को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम, निवास स्थान व आय के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विवित प्रारूप में नियमानुसार जारी जाति प्रमाण-पत्र विस्तृत आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। पति के नाम, निवास स्थान व आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र मात्र नहीं होगा।
4. राजस्थान राज्य के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को Online Application Form में सामान्य वर्ग के आवेदक के रूप में आवेदन करना होगा।
5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ होना चाहिए।
6. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की विवाहित महिला आवेदक को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम व निवास स्थान के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विवित प्रारूप में नियमानुसार जारी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। पति के नाम व निवास स्थान के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र मात्र नहीं होगा।
7. आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों को नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
8. शैक्षणिक योग्यता साक्षात्कार दिनांक (साक्षात्कार का प्रथम दिवस) तक अर्जित होना आवश्यक है तथा शेष सभी जैसे- श्रेणी/वर्ग/जाति/आय (आयु की गणना हेतु सैकण्डरी परीक्षा प्रमाण-पत्र), विकलांगता (सम्पूर्ण भारत वर्ग के किसी भी राज्य के सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी 40 प्रतिशत या उससे अधिक का विकलांगता प्रमाण-पत्र जिसमें निःशक्तता की श्रेणी का स्पष्ट उल्लेख हो) एवं अन्यादि के अनुसार ऑनलाइन आवेदन-पत्र की अन्तिम दिनांक तक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। विधवा श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पास पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र एवं पति के नाम से लिंक प्रमाण पत्र तथा परित्यक्ता श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पास माननीय न्यायालय द्वारा पारित तलाक सम्बन्धी डिक्री लिखित परीक्षा का परिणाम जारी होने की दिनांक तक होना आवश्यक है।
9. भूतपूर्व सैनिक के संबंध में प्रावधान – राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 17-04-2018 के अनुसार कोई व्यक्ति जो सेवानिवृत्त हो गया/गई है या आजामी एक वर्ष के भीतर-भीतर सेवानिवृत्त हो रहा है, सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त निराक्षेप प्रमाण पत्र (N.O.C.) के आधार पर अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा/होगी, किन्तु उसे विभाग द्वारा आयोजित साक्षात्कार में उपस्थित होने से पूर्व विभाग को सेवानिवृत्ति का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। कार्मिक (क-2) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक एफ-5(18)कार्मिक/क-2/84 पार्ट दिनांक 30-10-2017 के अनुसार राजस्थान राज्य के बाहर के भूतपूर्व सैनिकों को नियुक्ति में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। किसी भूतपूर्व सैनिक द्वारा राज्य के अधीन किसी भी लोक सेवा में नियोजन स्वीकार कर लेने के बाद वह भूतपूर्व सैनिक के रूप में अपनी प्रारिथ्यति (Status) खो देगा और वह लोक सेवक के रूप में ही माना जाएगा अर्थात् भूतपूर्व सैनिक के रूप में देय आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के उपरान्त लोक सेवा के किसी पद पर पुर्नियोजन स्वीकार करते ही उसका भूतपूर्व सैनिक के रूप में कोई भी लाभ प्राप्त करने का अधिकार सामान्यतः समाप्त समझा जावेगा परन्तु सीधी भर्ती के ऐसे पदों के संबंध में, जहाँ नियमों में निम्न पद का अनुभव भी निर्धारित किया गया है, किसी भूतपूर्व सैनिक द्वारा निम्न पद पर नियोजित होने के कारण, भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का अधिकार समाप्त होनी नहीं समझा जाएगा।
10. शासन के परिपत्र क्रमांक प-6(19)गृह-13 / 2006 दिनांक 22-05-2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्सम्बन्धी विवाह प्रमाण-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना वांछनीय होगा।
11. विधवा/परित्यक्ता श्रेणी की महिला को दस्तावेज सत्यापन के समय पुनर्विवाह नहीं किये जाने संबंधी या विधवा/परित्यक्ता श्रेणी में होने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
12. आवेदक को अन्तिम शैक्षणिक संस्था का चरित्र प्रमाण-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिसमें चरित्र के सम्बन्ध में कम से कम अच्छा का उल्लेख/अंकित होना आवश्यक होगा।
13. आवेदक को अन्तिम चयन उपरान्त आचरण सम्बन्धी पुलिस सत्यापन प्रमाण-पत्र यथा समय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिसमें आवेदक के खिलाफ ऐसी आपराधिक धारा का उल्लेख नहीं होना चाहिए जिससे सेवा में नियुक्ति में बाधा/समस्या उत्पन्न हो। साथ ही किसी आपराधिक प्रकरण में दोषसिद्ध होने या प्रकरण/वाद न्यायिक रूप से विचाराधीन होने पर नियुक्ति हेतु अपात्र होगा।
14. आवेदक को चयन उपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र यथा समय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, कि आवेदक पूर्णरूप से स्वस्थ है एवं सेवा के लिए पूर्णतः उपयुक्त है।
15. यह नियुक्ति पूर्णतः आवश्यक/अस्थाई आधार पर 06 माह की अवधि अथवा राजस्थान लोक सेवा आयोग से नियमित रूप से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने तक, जो भी फले हो, तक के लिए होनी एवं इससे किसी भी अभ्यर्थी को विभाग में नियुक्ति का अधिकार नहीं होगा। आवेदक को इस आशय का शपथ-पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा।

### आवेदन—पत्र में गलत / त्रुटिपूर्ण सूचना/अपूर्ण आवेदन—पत्र नहीं भरने के सम्बन्ध में विशेष निर्देश :—

अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन—पत्र भरने से पूर्व परीक्षा शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य बिन्दु व सूचना के लिए परीक्षार्थियों हेतु विभाग द्वारा विभाग की वेबसाइट / रिकूटमेन्ट पोर्टल पर जारी आवेदन—पत्र व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा—निर्देशों का अध्ययन आवश्यक रूप से करते हुए आवेदन—पत्र भरें। कोई गलत / त्रुटिपूर्ण सूचना या अपूर्ण आवेदन—पत्र भरने पर आवेदक का आवेदन—पत्र रद्द कर दिया जाएगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी तथा गलत / त्रुटिपूर्ण सूचना या अपूर्ण आवेदन—पत्र में किसी प्रकार का संशोधन संभव नहीं होगा। आवेदन पत्र में संशोधन हेतु व्यवितरणः/ऑफलाइन प्रार्थना—पत्र/ऑनलाइन प्रार्थना—पत्र/पत्र—व्यवहार/ई—मेल इत्यादि स्वीकार नहीं किया जाएगा। विभाग द्वारा आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई सूचना को सही मानते हुए भर्ती परीक्षा में अस्थाई प्रवेश दिया जायेगा। अगर अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन—पत्र में गलत / त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अपूर्ण सूचना भरी गई है, तो अभ्यर्थी का चयन रद्द करने का अधिकार विभाग को होगा व इसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी जिसके सम्बन्ध में अभ्यर्थी को कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा।

#### विशेष नोट :-

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि विभाग द्वारा उक्त विज्ञापन में विज्ञापित पद हेतु समस्त स्थिति उक्तानुसार स्पष्ट की जा चुकी है अगर किसी भी आवेदक/ई—मित्र/अन्य स्त्रीत द्वारा किये गये और ऑनलाइन आवेदन—पत्र में किसी प्रकार की कोई गलती/त्रुटि/लोप/अपूर्ण सूचना रह जाती है या आवेदक विज्ञापन के अनुसार पूर्ण पात्रता नहीं रखता है, इत्यादि के कारण आवेदक का ऑनलाइन आवेदन—पत्र विभाग द्वारा खारिज/निरस्त कर दिया जाता है, तो इस सम्बन्ध में किसी प्रार्थना—पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा और अभ्यर्थी को कोई कानूनी अधिकार भी नहीं होगा। आवेदक को चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में सम्मिलित होने के लिए यात्रा—भत्ता अथवा दैनिक भत्ता आदि देय नहीं होगा।

#### अन्य बिन्दु व सूचना :-

परीक्षा शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य बिन्दु व सूचना के लिए विभाग की वेबसाइट पर जारी दिशा—निर्देशों का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें। इसके अतिरिक्त आवेदक विभाग की वेबसाइट <https://urban.rajasthan.gov.in/content/raj/udh/ctp/en/home.html> पर समय—समय पर जारी इस परीक्षा से संबद्ध सूचनाओं से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु Helpdesk E-mail [udhptdrecruithelp@gmail.com](mailto:udhptdrecruithelp@gmail.com) पर सम्पर्क किया जा सकता है।

(आर.के. विजयवर्णीय)  
मुख्य नगर नियोजक  
राजस्थान, जयपुर।